

15<sup>9</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी व पार्थी  
को आवान्न लगाई गई। बार-बार  
आवान्न लगाने के बावजूद भी  
वकील पार्थी व पार्थी अयात्म  
में हाजिर नहीं होने पर पार्थी का  
आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज.  
क्र. अधिनियम अदम हाजरी  
अदम परती में खारीज किया जाता  
है। पत्रावली फराल शुमार होकर  
बुधवार से काम होकर दाखिल दफतर  
हो।

अपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़